"प्रमाणित प्रति राजकीय प्रयोजनार्थ नि:शुल्क प्रति"

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस.

अपील संख्याः 26/2015 एल.आर.एक्ट

GCMS No. 2015/00071

डॉ. नसीम पत्नी श्री हबीब खां जाति गौराण मुसलमान निवासी चक 636 आर.डी. तहसील पूगल जिला बीकानेर हाल निवासी ए-38, जगदम्बा कॉलोनी, जोधपुर ।

..........अपीलान्ट

प्रमाणित

अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय संभागीय आयुक्त
बीकानेर

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार पूगल ।

..........रेस्पोन्डेंट

उपस्थितः श्री राजेश बैद — अभिभाषक अपीलांट्स
मोहम्मद इम्तियाज अली — राजकीय अभिभाषक

निर्णय

मिलान किया

दिनांकः 16.08.2022

1. राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल के आदेश दिनांक 11.3.2015, जिसके द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में गलत इन्द्राज के सम्बन्ध में तहसीलदार पूगल की अभिशंषा के आधार पर राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रिकॉर्डस)रुल्स 369 के तहत चक 636 आरडी के मुरब्बा सं0 32/49 किला नं0 6 ता 25 तादादी 20 बीघा भूमि को रकबाराज घोषित किया जाकर कब्जा बहक सरकार लेने के आदेश दिये गये, के विरुध्द अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला ने सुगनाराम पुत्र परताराम जाति लुहार साकिन जसरासर तहसील नोखा को आवंटित भूमि चक 636 आरडी के मुरब्बा सं0 32/49 की 20 बीघा भूमि को किश्तों की राशि जमा नहीं कराने के अभाव में खारिज कर दिया था। नियमानुसार उक्त आदेश की पालना में पटवारी के रिकॉर्ड व तहसील के सैल रजिस्टर में भूमि के खारजी का अंकन किया

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

जाना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया है। रिकॉर्ड अनुसार तहसील स्तर पर सेल रजिस्टर में उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला के आदेश कमांक 476 दिनांक 31.3.98 की पालना में मुरब्बा नं0 32/49 किला नं0 6 ता 25 तादादी 20 बीघा रकबा रिज्यूम का नोट अंकित कर दिया गया, किन्तु उक्त नोट सेल रजिस्टर की प्रमाणित प्रति में कटा हुआ है। किश्तों के अभाव में खारिज किये गये उक्त रकबे को आवंटी के पक्ष में बहाल करने का कोई साक्ष्य/आदेश रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। किन्तु आवंटन खारजी के 13 वर्ष पश्चात आवंटी ने भूमि की किश्त जमा करवाकर गलत तरीके से रकबा राज भूमि की खातेदारी प्राप्त करते हुए भूमि का बेचान श्रीमती नसीम बानो पत्नी हबीब खां गौराण को कर दिया, जिनका नाम वर्तमान रिकॉर्ड में दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में गलत इन्द्राज होने एवं राज्य हित प्रभावित होने से तहसीलदार, पूगल की अभिशंषा के आधार पर राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु (लैण्ड रिकॉर्डस) रुल्स 369 के तहत विवादित भूमि चक 636 आरडी के मु0नं0 32/49 कि0नं0 6 ता 25 तादादी 20 बीघा भूमि को रकबा राज घोषित किया जाकर कब्जा बहक सरकार लेने के आदेश दिये, जिसके विरुध्द अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर आगामी पेशी तक स्थगन आदेश जारी कर अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब कर प्राप्त किया गया। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गयी।

4. अभिभाषक अपीलान्ट श्री राजेश बैद ने लिखित बहस एवं अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रुप से अपनी बहस में बताया कि विवादित रकबा चक 636 आरडी के मु0नं0 32/49 कि0नं0 6 ता 25 तादादी 20 बीघा भूमि स्व. सुगनाराम के नाम से पुख्ता आवंटित थी। प्रकरण में स्व. सुगनाराम के वारिसान द्वारा नियमानुसार बकाया किश्तें जमा करवाने के बाद सक्षम आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, पूगल द्वारा खातेदारी सन्नद जारी की गयी है। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान लागू हो जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय ने लैण्ड रिकॉर्ड रुल्स 1957 के तहत अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो क्षेत्राधिकार से बाहर है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्राप्त खातेदारी अधिकारों को लैण्ड रिकॉर्ड रुल्स के तहत निरस्त नहीं किया जा सकता है। यह कि वादगत भूमि को अपीलान्ट द्वारा पूर्व खातेदार का कब्जा काश्त देख कर पूर्ण प्रतिफल राशि अदा कर खरीद की गयी है,

अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपीलान्ट सदभावी क्रेता है। अपीलान्ट के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.01.2012 को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी है। वाद गत भूमि अपीलान्ट की खरीदशुदा खातेदारी कृषि भूमि है। मौके पर अपीलान्ट काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई नोटिस नहीं दिया एवं अपीलान्ट की पीठ पीछे अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

5. राजकीय अभिभाषक का कथन है कि श्री सुगनाराम पुत्र परताराम जाति लुहार साकिन जसरासर तहसील नोखा को आवंटित भूमि चक 636 आरडी के मुरब्बा सं0 32/49 की 20 बीघा भूमि को किश्तों के अभाव में उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला ने आदेश दिनांक 31.03.98 द्वारा खारिज कर दिया था। नियमानुसार उक्त आदेश की पालना में पटवारी के रिकॉर्ड व तहसील के सैल रजिस्टर में भूमि के खारजी का अंकन किया जाना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया है। रिकॉर्ड अनुसार तहसील स्तर पर सैल रजिस्टर में उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला के आदेश कमांक 476 दिनांक 31.3.98 की पालना में मुरब्बा नं0 32/49 किला नं0 6 ता 25 तादादी 20 बीघा रकबा रिज्यूम का नोट अंकित कर दिया गया, किन्तु उक्त नोट सेल रजिस्टर की प्रमाणित प्रति में कटा हुआ है। नियमानुसार पटवारी रिकॉर्ड में भी उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला के आदेशानुसार खारिज शुदा भूमि का नामान्तरकरण राज्य पक्ष में दर्ज किया जाना चाहिए था, जो दर्ज नहीं किया गया। किश्तों के अभाव में खारिज किये गये उक्त रकबे को आवंटी के पक्ष में बहाल करने का कोई आदेश रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। किन्तु खारिज शुदा भूमि के बाबत मृतक सुगनाराम के वारिसान के नाम से विरास्तन इन्तकाल दर्ज किया जाकर बिना सक्षम अधिकारी का आदेश लिये मृतक आवंटी की ओर से बकाया किश्तें जमा करवाई जाकर रकबा राज भूमि की मृतक के नाम से खातेदारी प्राप्त की जाकर मृतक सुगनाराम के वारिसान द्वारा विवादित भूमि का बेचान श्रीमती नसीम बानो पत्नी हबीब खां गौराण को कर दिया। इस प्रकार वर्ष 1998 में खारिज शुदा भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में गलत इन्द्राज होने एवं राज्य हित प्रभावित होने से तहसीलदार, पूगल की अभिशंषा के आधार पर उपखण्ड अधिकारी पूगल द्वारा राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु (लैण्ड रिकॉर्डस) रुल्स 369 के तहत विवादित भूमि चक 636 आरडी के मु0नं0 32/49 कि0नं0 6 ता 25 तादादी 20 बीघा भूमि को रकबा राज घोषित किया जाकर कब्जा बहक सरकार लेने के आदेश दिये गये हैं, जो नियमानुसार है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे।

मिलान किया

प्रमाणित

अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय संभागीय आयुक्त
बीकानेर

6. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण अनुसार आवंटी सुगनाराम पुत्र परताराम जाति लुहार निवासी जसरासर तहसील नोखा के नाम चक 6KJ आरडी के मुरब्बा सं0 32/49 के किला नं0 6 ता 25 तादादी 20 बीघा रकबा बतौर भूमिहीन पुख्ता आवंटन हुआ। आवंटी की किश्तों की राशि जमा नहीं होने पर तहसीलदार खाजूवाला द्वारा उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला को किश्तों के अभाव में रकबा रिज्यूम किये जाने का निवेदन किया। उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला ने आदेश क्रमांक 476 दिनांक 31.03.1998 द्वारा आवंटित रकबा खारिज कर भूमि का कब्जा वहक सरकार लिये जाने के आदेश दिये जबकि प्रकरण में विवादित भूमि किश्तों के अभाव में दिनांक 31.03.1998 को खारिज होने के पश्चात आवंटी सुगनाराम की ओर से भूमि की किश्तें जमा करवाई जाकर भूमि की उपखण्ड अधिकारी से ही खातेदारी प्राप्त की गई। सुगनाराम के वारिसान द्वारा उक्त भूमि का बेचान अपीलार्थी श्रीमती नसीम बानो पत्नी हवीव खां गौराण को कर दिया। अपीलांट के रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 02.01.2012 को किसी भी न्यायालय में ना तो चुनौती दी गई हैं और ना ही उक्त बैयनामें को किसी भी सक्षम न्यायालय में शून्य अथवा प्रभावहीन घोषित करवाया गया है। केवल मात्र तहसीलदार पूगल की अभिशंषा पर उपखण्ड अधिकारी पूगल ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.03.2015 पारित करते हुए वादग्रस्त भूमि को रकबा राज घोषित कर कब्जा वहक सरकार लिये जाने के आदेश दे दिये, जो विधिसम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पूगल जिला बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.03.2015 निरस्त किया जाता है।

7. तदानुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16.08.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मिलान किया

प्रमाणित
अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय संभागीय आयुक्त
बीकानेर

(डॉ. नीरज के. पवन)
सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर